among the States/UT Administrations. However, according to the recommendation of the Standing Committee on Labour & Welfare (1996-97) Eleventh Lok Sabha, in their Second Report on Ministry of Welfare, Demands for Grants (1996-97) this was withdrawn. But the Deptt. Of Economic Affairs issued a circular [No.F.2(23)-B(CDN)95 dated 10.2.95] according to which the unspent balances may be adjusted in-the further grant/assistance to be provided.

SHRI SANATAN BISI: Mr. Chairman, Sir, I want to know from the hon. Minister whether for purposes of proper utilisatioon of funds the Government has identified any blocks in which fifty per cent of the population is of the Scheduled Castes.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: We are in the process of identifying.

SHRI SANATAN BISI: What about the infrastructure investment that is being done in these blocks.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: After the identification, the necessary steps will be taken.

MR. CHAIRMAN: Question No. 368.

देश में बाल-श्रमिक

*368. **श्री नागमणि** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाल-श्रमिकों की कुल संख्या के संबंध में नवीनतम आंकड़े क्या है तथा उनमें से खतरनाक व्यवसायों में कार्य कर रहे बाल-श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं;

(ख) दस वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों की संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या खतरनाक व्यवसायों से बाल-श्रम की प्रथा समाप्त करने के संबंध में प्रधान मंत्री की कार्य-योजना को प्रभावी ढंग से कार्यन्वित करने के लिए "खतरनाक व्यवसाय" को पुनः परिभाषित करने संबंधी कोई प्रयत्न हैं; और

(घ)वर्तमान में "खतरनाक व्यवसाय" की परिभाषा क्या हैं?

श्रम मंत्री (डा0 सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया हैं।

विवरण

देश में कामकाजी बच्चों की कुल संख्या के बारे में दसवर्षीय जनगणना ही केवल प्रमाणित स्रोत हैं। 1981 और 199 की जनगणना के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले कामकाजी बच्चों की संख्या क्रमश 13.6 मिलियन और 11.28 मिलियन हैं। इनमें से, लगभग मिलियन बच्चे दस वर्ष से कम आयु वाले हैं। इस संख्या का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया हैं। देश में कामकाजी बच्चों की कुल संख्या के बारे में अघतन आंकड़ों का 2001 में अगली दसवर्षीय जनगणना के बाद ही पता चल पाएगा।

फिलहाल बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियिम 1986 में "खतरनाक व्यवसाय" की परिभाषा नही दी गयी हैं। इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित तकनीकी सलाहाकार समिति की सलाह पर जोखिमकारी समझे गए व्यवसायों / प्रक्रियाओं को इस अधिनियम की अनुसूची में जोड़ दिया गया हैं। ऐसे व्यवसायों/ प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध हैं। बाल श्रम (प्रति एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के भाग अ और ब में फिलहाल क्रमशः 7 व्यवरण को और 18 प्रक्रियाओं को जोड़ दिया गया हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 की उप-धारा (ग,ख,), जो नीचे दिए गए अनुसार पढ़ी जाती हैं मे यथा परिभाषित जोखिमकारी प्रक्रियाओं में जो बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध हैं-

"(ग ख)" "जोखिमकारी प्रक्रिया" से प्रथम अनुसूची मे निर्दिष्ट किसी उद्योग के संबंध में कोई ऐसी प्रक्रिया अथवा कार्यकलाप अभिप्रेत हैं, जिसमें यदि विशेष ध्यान में रखा जाए तो उसमें प्रयुक्त कच्चे माल अथवा बन रहे अथवा तैयार उत्पादों, सहायक-उत्पादकों, अपशिष्टो अथवा उसके वहिस्रवि से :-

(i)उसमें लगे अथवा उससे जुड़े व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर उस सामग्री का हानिकारक प्रभाव पड़ेगा,

(ii)जिसके परिणामस्वरूप सामान्य वातावरण प्रदूषित होगा।

विवरण – I

अनुबंध

1971,1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बालकों का राज्यवार वितरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश		1971 कर्मकार	1981 कर्मकार	1991		
				मुख्य कर्मकार	सीमान्त कर्मकार	कुल कर्मकार
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,627,492	1,951,312	1,537,293	124,647	1,661,940
2.	असम	239,349*	**	259,953	67,645	527,395
3.	बिहार	1,059,359	1,101,764	759,444	146,801	942,245
4.	गुजरात	518,061	616,913	373,027	150,558	523,585
5.	हरियाणा	137,826	194,189	89,030	20,661	109,691
6.	हिमाचल प्रदेश	71,384	99,624	30,771	25,667	56,438
7.	जम्मू और कश्मीर	70.489	258,437	**	**	**
8.	कर्नाटक	808,719	1,131,530	818,159	158,088	976,247
9.	केरल	111,801	92,854	28,590	6,210	34,800
10.	मध्यप्रदेश	1,112,319	1,698,597	997,940	354,623	1,352,563
11.	महाराष्ट्र	988,357	1,557,756	805,847	262,571	1,068,418
12.	मणिपुर	16,380	20,217	13,478	3,015	16,493
13.	मेघालय	30,440	44,916	30,730	3,903	34,633
14.	नागालैण्ड	13,726	16,235	16,106	370	16,476
15.	उड़ीसा	492,477	702,293	325,250	127,144	452,394
16.	पंजाब	232,774	216,939	132,414	10,454	142,868
17.	राजस्थान	587,389	819,605	490,522	283,677	774,100
18.	सिक्किम	15,661	8,561	5,254	344	5,508
19.	तमिलनाडु	713,305	975,055	523,125	55,764	578,889
20.	त्रिपुरा	7,490	24,204	13,506	2,972	16,478
21.	उत्तर प्रदेश	1,326,726	1,434,675	1,145,087	264,999	1,410,086
22.	पश्चिम बंगाल	511,443	605,263	593,387	118,304	711,691
23.	अंडमान और निकोबार	572	1,309	758	507	1,265
24.	अरूणाचल प्रदेश	17,925	17,950	11,632	763	12,385
25.	चंडीगढ़	1,086	1,986	1,839	31	1,870
26.	दादर और नागर हवेली	3,102	3,625	2,677	1,739	4,416
27.	दिल्ली	17,120	25,717	26,670	681	27,354
28.	दमन और द्वीप	7,391	9,378	741	200	841
29.	गोवा			3,938	718	4,456

				मुख्य कर्मकार	सीमान्त कर्मकार	कुल कर्मकार
30.	लक्षद्वीप	97	56	17	17	34
31.	मिजोरम	***	6,314	6,391	10,020	16,411
32.	पांडिचेरी	3,725	3,606	2,565	115	2,680
	कुल	0,753,985	13,640,870	9,082,141	2,203,208	11,285,349

इसमें मिजो जिला के आंकड़े भी शामिल हैं, जोकि तब असम का हिस्सा था।

** जनगणना नही की जा सकी।

*** मिजोरम के 1971 के जनसंख्या आंकड़े असम में शामिल हैं।

नोट: 1991 के आंकड़े 5-14 वर्ष के कर्मकारों से संबेंधित है।

श्री नागमणि : महोदय, जैसा कि सरकार ने जवाब दिया हैं। -1981 और 1991 की जनसंख्या के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले कामकाजी बच्चों की संख्या 13.6 और 11.28

मिलियन हैं महोदय, देश में स्वर्ण जयंती मनाई गयी है लेकिन.....

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Development of Towns in North! Eastern States

*365. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) amount so far released under the scheme for Integrated Development of Small and Medium Towns for the North-Eastern States, State-wise, during the Eighth Five Year Plan;

(b) facilities for improving the quality of life of the urban poor under the scheme of Urban Basic Service for the Poor (UBSP) to the North-Eastern States, State-wise, extended so far; and

(c) whether the prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication programme has been extended to the North-Eastern States?

THE MINSITER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) Details of Central Assistance under the IDSMT Scheme released to North Eastern States during the VIII Five Year plan are given below:—

SL No.	NAME OF STATE	AMOUNT RELEASED (Rs. in lakh)
1.	ARUNACHAL PRADESH	62.00
2.	ASSAM	145.00
3.	MANIPUR	168.58
4.	MEGHALAYA	11.00
5.	MIZORAM	76.00
6.	NAGALAND	45.00
7.	SIKKIM	38.00
8.	TRIPURA	61.75
	Total	607.33

(b) The Scheme of Urban basic Services for the Poor (UBSP) launched in 1990-91 has now been subsumed in the new unified Urban Poverty Alleviation programme namely Swarna jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) w.e.f. 1.12.1997. Under the UBSP Scheme,